न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या :– 21/17 (RCMS No. 2017/00027) 18 आयुध अधिनियम 1959)

मोहन सिंह पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति त्यागी निवासी रनजीतपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर क्रमांक न्याय/आर्म्स/2013 /2869 दिनांक 18.11.2013

उपस्थितिः–

1. श्री तालेराम वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक

निर्णय **दिनांकः– 28.03.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर के निर्णय दिनांक 18.11.13 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि संबंधित तहसीलदारों से प्राप्त सूची के अनुसार अनुज्ञापत्र धारियों ने राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण किया हुआ है तथा अधिकाशंतः पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। लाइसेन्सधारियों ने हथियार का दुरूपयोग कर सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण किया हुआ है। इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता न होकर ये स्वंय सरकारी भूमि के लिये असुरक्षा उत्पन्न कर रहे है। ऐसी स्थिति में लोकशान्ती एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से तथा शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को मध्ये एक ही आदेश क्रमांक 2869 दिनांक 18.11.13 से 20 शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निरस्त कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र भी क्रम सं0 10 पर दर्ज है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश पेश की गयी है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नही दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को जिस आधार पर निरस्त किया गया है उस आधार से शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त नही किया जा सकता है। अपीलान्ट ने किसी प्रकार से शान्ती व्यवस्था को भंग नही किया है। बिना

किसी आधार के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया है। अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र काफी पुराना है। अपीलान्ट पर किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है और न ही अपीलान्ट ने कभी अपने शस्त्र का दुरूपयोग किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा शस्त्र अनुज्ञा पत्र बहाल किया जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था तथा हथियार का भय दिखाकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करते रहते हैं। तहसीलदार ने ऐसी भूमियों के संबंध में ही रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को पेश की थी, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने लोकशान्ती व जन सुरक्षा की दृष्टि से अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिला कलक्टर ने तहसीलदार से राजकीय भूमि पर अतिक्रमीयों की सूची चाही गयी थी। सूची प्राप्त होने पर अनुज्ञापत्र धारियों द्वारा हथियार के दुरूपयोग कर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना तथा उनमें से अधिकाशंतः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना तथा लोकशान्ती एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को मध्ये नजर एक ही आदेश क्रमांक 2869 दिनांक 18.11.13 से अपीलान्ट सहित 20 अनुज्ञापत्रों को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्ट के विरूद्ध ऐसी कोई रिपोर्ट भी नही है जिससे उसने किसी प्रकार से शान्ती व्यवस्था को भंग किया हो, किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो या अपीलान्ट ने शस्त्र का दुरूपयोग किया हो। अपीलान्ट का अतिक्रमी होना लोकशान्ती व लोक सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिकूल नही माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट को सुनकर, अपीलान्ट की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य लेकर ही निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही है। अतः अपील स्वीकार कर पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्रमांक 2869 दिनांक 18.11.13 की क्रम सं0 10 अनुज्ञा पत्र सं0 13/77 मोहन सिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद त्यागी निवासी ग्राम रंजीतपुरा सैपऊ की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तार्किक, न्यायसंगत एवं स्पीकिंग निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.06.17 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर